1

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथा पंजी।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाओं के प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें बिन्दुवार समीक्षोपरान्त संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

आपदा :-

1. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1293/आ0प्र0, दिनांक 17.04.2012, जिसकी प्रति सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, के अनुसार निर्धारित सहाय्य मानदर के 9वें स्तम्भ में वर्णित मकानों, क्रमशः पक्का मकान, कच्चा मकान एवं झोपड़ीनुमा मकान का विवरण दिया गया है जिसमें विशेषकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त झोपड़ीनुमा मकान एवं आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर आंकलित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी उपलब्ध कराएँगे ताकि गृह क्षति अनुदान के अनुसार मुआवजा दिया जा सके।
2. इसके अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बाढ़ से प्रभावित मृत पशुओं का भी सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा :-

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद के प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में छह माह के लिए उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी डी0सी0 बिल के माध्यम से करेंगे तथा वितरण की कार्रवाई रोस्टर तैयार करते हुए दिनांक 30.09.13 से प्रारंभ कर दिनांक 04.10.13 तक करेंगे। इसके लिए मदवार एवं घटकवार पेंशन पंजियों को अद्यतन कर लेंगे जिसमें फोटो एंव सभी पहचानकर्त्ताओं का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।
4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि कई प्रखंडों में वितरण पंजी मदवार एवं घटकवार संधारित नहीं की जा रही है जिसके कारण उपलब्ध कराई गई राशि के व्ययोपरान्त डी0सी0 बिल जमा करने में परेशानी होगी। इस निमित्त यह निदेश दिया जाता है कि जिन प्रखंडों में वितरण पंजी मदवार एवं घटकवार नियमानुसार संधारित नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध संभावित वित्तीय अनियमितता में भागीदार मानते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अतः मदवार एवं घटकवार पंजी ही संधारित करें।
5. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण कर पंजियों के संधारण, राशि की निकासी एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जाँच कर, पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराते हुए कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित कराएँगे।
6. यह कृत्य काफी खेदजनक है कि पेंशन मद की राशि अग्रिम के रूप में कई पंचायत सचिवों को दिए जाने के उपरान्त अवितरित राशि की वसूली नहीं की जा रही है। उदाहरणार्थ धरहरा प्रखंड के पंचायत सचिव, श्री सुबक लाल को दी गई पेंशन मद की लगभग 22,00,000/- (बाईस लाख) रू0 की राशि की वसूली कर समायोजन अबतक नहीं की गई है, जो चिंताजनक है। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विषय की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में जो एकमुश्त राशि अग्रिम के रूप में वितरण हेतु दिया गया है उसके व्ययोपरान्त अभिश्रव संलग्न करते हुए राशि का समायोजन कराया जाए। इस कार्य की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान करेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर दोषी पंचायत सचिवों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।

सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, 2013 :-

8. बैठक में समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरानत परिलक्षित हुआ कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के कार्यो में संबंधित कर्मियों द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार शत–प्रतिशत आच्छादन अर्जित करने में रूचि नहीं ली जा रही है जिसकी पुष्टि वर्तमान प्रतिवेदन के यथावत् होने से लगाया जा सकता है। कार्य के यथावत् बने रहने के संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बारम्बार निदेश के बावजूद SECC में कार्यरत् डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को मानदेय की राशि भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण वे कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्य की प्रगति पर पड़ा है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के कार्यो का दैनिक अनुश्रवण किया जाए ताकि कार्य में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र :-

9. ए0सी0/डी0सी0 बिल की समीक्षा दौरान संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि चौकीदार मद, अर्द्धसैनिक बल, आपदा प्रबंधन एवं कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना मद में लंबित विपत्रों के समायोजन की कार्रवाई अविलम्ब पूर्ण कर शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करना सुनिश्चित करेंगे।

कृषि विभाग :-

10. वित्तीय वर्ष 2010–11 में बीज अनुदान अन्तर्गत बजट शीर्ष 2401 मद में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित राशि का अभिश्रम सहित डी0सी0 बिल जिला कृषि कार्यालय को अबतक अप्राप्त रहने के क्रम में निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र व्ययोपरान्त अभिश्रव सहित डी0सी0 बिल समर्पित किया जाए।

11. वित्तीय वर्ष 2010–11 में डीजल अनुदान मद में पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि एवं वर्तमान में उपावंटित राशि के वितरण के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अभिश्रव सहित डी0सी0 बिल जमा करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

निर्वाचन :-

12. समीक्षा बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज द्वारा बताया गया कि उपलब्ध कराए गए मतदाता सूची के हेडर पेज में काफी विसंगतियाँ हैं जिन्हें ठीक कराया जाना अत्यावश्यक है। इस निमित्त उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इसका निराकरण निश्चित रूप से की जाए।

पंचायती राज:-

13. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपलब्ध कराए गए ग्राम कचहरी सचिव की संविदा राशि/पंच, सरपंच का मानदेय भत्ता/कचहरी भवन किराया हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. पंचायती राज विभाग द्वारा आई0टी0 सेल की स्थापना हेतु प्रत्येक प्रखंड को उपलब्ध कराए गए 50,000/– रू0 की व्यय विवरणी जिला पंचायत राज कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।